हिमाचल प्रदेष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 28–02–2013 को जन–सुनवाई फल मण्डी, भटाकुफर ;ढली जिला शिमला हि0प्र0 में एन0एच0 22 के सोलन से शिमला, शोघी, शिमला बाईपास सहित सडक खण्ड को 4 लेन में पुनरोद्वार एवं उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु आयोजित जन–सुनवाई की कार्यवाही का विवरणः

***

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 28–02–2013 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जन–सुनवाई का आयोजन श्री डी0के0रत्न, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था, जिला शिमला, की अध्यक्षता में किया गया। इस जन–सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री प्रवीण गुप्ता, पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, शिमला द्वारा आयोजित जन–सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई की कार्यवाही शुरु की गई। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार के सदस्यों द्वारा परियोजना के प्रारुप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। तत्तपश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई आरंभ की गई। इस जन–सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	लोगों द्वारा उठाये गये सवाल	मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री शिव प्रताप झिंगटा निवासी गांव ढली जिला शिमलाः मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम 4 लेन सर्वे के बारे में जानकारी दी जाए।	परियोजना निर्देशक श्री सतीश कौलः परियोजना के निर्देशक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग के सम्बन्ध में अवगत करवाया कि महालक्ष्मी फर्नीचर से आगे टनल, आनंदपुर से सावरी नाला में पुल तथा चम्याणा रोड से भटाकुफर ढली जंकसन से जुड़ेगा तथा फल मण्डी ढली से नीचे से जाएगा। जिसके बारे में अखबारों एवं जन–प्रतिनिधियों के माध्यम से अवगत करवाया गया है। जो भी भूमि से सम्बधित एतराज होंगें उसका 3ए अधिसूचना होने के उपरान्त अखबारों में प्रकाशित किया जायेगा। जो भूमि अधिग्रहण से संम्बधित समस्याएं/ आवजैक्सन आयेगें उनका निपटारा हमारे एल0 ए0 ओ0 सोलन द्वारा किया जायेगा।
2.	डा0 कुलदीप तनवर, सांगटी, जिला शिमला : यह जो जन सुनवाई रखी है यह प्रदूषण के बारे में रखी गई है लेकिन आम जनता को इसके बारे में नही बताया गया था। सर्वप्रथम हमें यह अवगत करवाया जाये कि जन सुनवाई किस अधिसूचना एवं नियम के अन्तर्गत रखी गई है। यह किसकी अध्यक्षता में रखी गई हैं । अंतिम चयन रेखांकन करने से पहले इस जन सुनवाई करने का क्या औचित्य है।	परियोजना प्रबन्धक श्रीनिवास वर्मा : यह जन सुनवाई भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः एस0ओ0 1553 दिनांक 14–09–2006 के प्रावधानों के अनुरूप अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में रखी गई हैं। अधिसूचना के अनुरूप इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किया गया है।

421

3.	डा0 कुलदीप तनवर, सांगटी, जिला शिमला: 72 गांव इसमें आए हैं पर्यावरण प्रबन्धन में देखें तो 4 लेन पहाड़ों में क्या आवश्यकता है। बाईपास सडक के बनने से शिमला शहर के निवासी जिनकी जनसंख्या लगभग पौने दो लाख है इस सडक निर्माण से क्या लाभ होगा। महालक्ष्मी फर्नीचर से आगे इस सडक निर्माण के अर्न्तगत 88 किसान लघु एवं सीमित लोग हैं। इसके अतिरिक्त 36 गांव हैं जिनमें से शिमला ग्रामीण कसुम्पटी, के 23 गांव आते हैं। जो इस सडक निर्माण से प्रभावित होगें। वन भूमि के अन्तर्गत आने वाले विस्तार खण्डों को टी0 ओ0 आर0 में नहीं दर्शाया गया है। सुरंगों से निकलने वाली मिटटी एवं मलवा का क्या प्रावधान रखा गया है। जो टनल निकालने पर उत्पन्न कम्पन एवं इसकी बजह से लोगों के मकानों में पडने वाली दरारों के सम्बध में क्या प्रावधान हैं। परियोजना में 256 कलवट आ रहे हैंइनमें से 140 कलवट नए हैं। इस जन सुनवाई का किसान सभा परजोर से विरोध करती है तथा हम वह चीज नहीं चाहते जो अन्य परियोजनाओं में लोगों का विरत परिणामों का सामना करना पड़ा है ।	परियोजना निर्देशक श्री सतीष कौल: परियोजना निदेशक द्वारा अवगत करवाया गया कि इसमें 100 से 200 के बीच घर प्रभावित होगें। भूमि से सम्बधित एतराज होगें उसका 3ए, अधिसूचना होने के उपरान्त निपटारा किया जायेगा। अधिसूचना में प्रभावित गांव का नाम एवं खसरा नं0 अखबारों में प्रकाशित किया जायेगा। उसके बाद 21 दिनों में सुनवाई होगी। एन एच अधिनियम के तहत प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जायेगा।
4	श्री सदाशिव ठाकुर क्षेत्रीय किसान सभा भटाकुफर,शिमला:–अंतिम चयन रेखांकन करने से पहले इस जन सुनवाई करने का क्या औचित्य है। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण में दो स्थानों को ही चिहिन्त किया गया है। क्या बाकि स्थानों में इसका प्रभाव नहीं पडेगा। अगर सही तरीकों से खसरा न0 के बारे में जनता को अवगत नहीं करवाया गया तो हम न्यायालय में जाऐंगें।	परियोजना निर्देशक श्री सतीष कौल:– परियोजना निदेशक द्वारा अवगत करवाया गया इसका प्रावधान 3ए अधिसूचना होने के उपरान्त किया जायेगा। हम एन0एच0 नियम से बाहर नहीं जाएंगे। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को शोघी एवं ढली में जांचा गया है जो कि मानकों के अनुरुप है।
5	डा0 कुलदीप तनवर, सांगटी, जिला शिमला:–अगर 3ए अधिसूचना के उपरान्त लोगों के हितों को देखा जाएगा तो इस सार्वजनिक जन सुनवाई का क्या औचित्य है। अतः इस जन सुनवाई को दुबारा से किया जाये ताकि प्रत्येक व्यक्ति के हित का ध्यान रखा जा सके हम इस जन सुनवाई का पूरजोर बहिस्कार करते हैं तथा हिमाचल किसान सभा ने नारे लगाने शुरू किये।	परियोजना प्रबन्धन की बात सुनने को लोग तैयार नहीं थे। तथा कुछ लोग बैठक से उठ कर बाहर खड़े हो गये ।

6	श्री योगेन्द्र दत्त शर्मा, जिला शिमला : मैं पूछना चाहता हूँ कि खसरा नं0 की विस्तृत जानकारी कब तक उपलब्ध करवाई जाएगी।	परियोजना निर्देशक श्री सतीष कौलः परियोजना निर्देशक द्वारा अवगत करवाया गया कि इसकी रिपोर्ट मन्त्रालय को भेजी गई है। सम्भवतः इसकी अधिसूचना मार्च माह तक हो जाएगी।
7	डा0 रघुवीर सिंह, उप निदेशक कृषि विभाग हि0प्र0 शिमला:– सडक निर्माण के दौरान रसायनिक पदार्थ प्रयोग में लाने से लगती उपजाउ भूमि पर क्या प्रभाव पडेगा। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु अतिरिक्त पेड पौधे लगाने का सुझाव दिया।	परियोजना निर्देशक श्री सतीष कौलः परियोजना निर्देशक द्वारा अवगत करवाया गया कि सडक निर्माण करते समय रसायनिक पदार्थ का कोई असर नहीं पडेगा।
8	श्री अमर सिंह ठाकुर, उप प्रधान चम्याणा जिला शिमला:– जन सुनवाई का आयोजन दुबारा से किया जाये तथा प्रभावित पंचायतों को आमंत्रित किया जाये। उन्हें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।	परियोजना निर्देशक श्री सतीष कौल:– हम राष्ट्रीय उच्च मार्ग नियमों के तहत कार्य करेगें।
9	श्री सदाशिव ठाकुर सचिव किसान सभा – मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो बनने जा रहा है इसका सर्वे दुबारा से जन समुह की उपस्थित में कराया जाना चाहिए व मौके पर लोगों के सुझाव लिए जाए। परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्यावरण प्रभावित रिपोट। ;म्प्।द्ध में शोघी व ढली के वायु एवं ध्वनि के नमुने लिए गए है। जो सर्वे रिपोट के मुताविक उचित नहीं हैं हम इसे खारिज करते है । व परियोजना अधिकारियों से निवेदन है कि पुनः समस्त प्रभावित गॉव का वायु एवं ध्वनि का सर्वेक्षण विस्तृत रूप से करवाया जाए व जनता के समक्ष पेश किया जाए । हम इस जन सुनवाई का कड़ा विरोध करते है । हम चाहते है कि परियोजना अधिकारियों द्वारा जो खसरा नम्बर सर्वे में नहीं दिखाया गया है इस विसतृत रूप से दिखाया जाए कि सर्वे किन खसरा नम्बरो से जा रहा है ।	परियोजना निर्देशक श्री सतीष कौल:– हम राष्ट्रीय उच्च मार्ग नियमों के तहत कार्य करेगें।
10	श्री देवानन्द वर्मा, प्रधान पुजारली – लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनने के कारण वह प्रभावित होंगे या नहीं जिसके कारण बहुत से लोगों ने इस जन सुनवाई में भाग नहीं लिया। सभी जनता को जन सुनवाई के बारे में पता होना चाहिए था। सर्वेक्षण करते समय स्थानीय लोगों की मदद के अभाव के कारण इसकी	परियोजना निर्देशक श्री सतीष कौल:– हम राष्ट्रीय उच्च मार्ग नियमों के तहत कार्य करेगें।

	जानकारी लोगों में नहीं है। दुबारा से लोगों की मदद लेकर सर्वेक्षण किया जाए ताकि इसका प्रभाव कम से कम लोगों पर पडे। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई को दुबारा से किया जाए।	
11	**श्री एम आर चौहान, ढली एवं श्री कपूर सिंह कंवर** :– ढली टनल न बनाई जाये पुराने सर्वे के तहत सडक को बनाया जाये।	**परियोजना निर्देशक श्री सतीश कौल**:– हम राष्ट्रीय उच्च मार्ग नियमों के तहत कार्य करेंगें।

श्री डी० के०रत्न, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कानून एवं व्यवस्था जिला शिमला: – मैं सभी का इस जन सुनवाई में पधारने के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। इस जन सुनवाई के बारे पेपरों के माध्यम से एवं पंचायत प्रनिधियों के माध्यम से लोगों को बताया गया था। जिन लोगो ने जन सुनवाई में भाग लिया, उनके प्रश्नों एवं उत्तरों को आप सब ने सुना और मुझे बताए गए सुझावों कि विडियो रिकाडिंग भी की गई है। इलाईनमैंन्ट के बारे में विस्तृत रिपोर्ट एल०ए०ओ० सोलन, एवं परियोजना अधिकरी से प्राप्त कर सकते हैं। इस परियोजना का कार्य अधिसूचना 3ए के अनुरूप किया जाऐगा। अगर किसी को इस बारे में कोई आपत्ति या समस्या है तो वह एल०ए०ओ० जिला सोलन, तथा प्रशासन से भी सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इस हाइवे प्रोजैक्ट को जनता की इच्छानुसार ही बनाया जाऐगा ।

जन–सुनवाई के समापन से पूर्व कार्रवाही के सार को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कानून एवं व्यवस्था, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपस्थित लोगों के समक्ष बताया गया। तत्पश्चात इसका विवरण रिकार्ड किया गया। अन्त में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, शिमला द्वारा लोगों का आभार व्यक्त किया गया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
शिमला (हि॰प्र॰) 171001

दिनॉक: 26–02–2013.

हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

एससीएफ-6, 7, 8, सेक्टर-4, परवाणु, जिला सोलन (हि.प्र.) 173220

टैलीफैक्स: 01792-234081, वैबसाईट: ३इत्र://स्त्रु.छ्रू.छ/

सोलन पर 106.000 किमी. पर आरंभ एवं धाली पर 156.507 किमी. पर समाप्त (सोलन जिले में 132.230 किमी. पर समाप्त) एनएच-22 के सोलन-शिमला अनुभाग के वर्तमान 4 लेन संरेखण को चौड़ा करने एवं सुधार करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की पेशकश पर कंडाघाट जिला सोलन, हि.प्र. पर 27.02.2013 को हुई हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यावरण जन सुनवाई की कार्यवाही।

उपरोक्त निर्दिष्ट पेशकश पर सार्वजनिक विचारों एवं आपत्तियों को संघटित करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की अनुवर्ती में सोलन पर किमी. 106.000 पर आरंभ एवं धाली पर किमी. 156.507 पर समाप्त (सोलन जिले में 132.230 किमी. पर समाप्त) एनएच-22 के सोलन-शिमला अनुभाग के वर्तमान 4 लेन संरेखण को चौड़ा करने एवं सुधार हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की पेशकश पर सार्वजनिक सुझावों, विचारों, टिप्पणियों एवं आपत्तियों को आमंत्रित करने हेतु बीडीओ कार्यालय, कंडाघाट, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हि.प्र. पर 27.02.2013 को पूर्वा. 11.00 बजे हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित की गई थी।

इस जन सुनवाई के विषय में स्थानीय जनता को सूचित करने हेतु राजमार्गों पर एवं पंचायतों में जन सूचना प्रणाली (लाउडस्पीकरों) द्वारा एवं स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था। इसके अलावा यह सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सुनवाई को विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रेन शैल्टरों पर भी चस्पाई गई थी।

सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया की कार्यवाही भारतीय मानक समय 11:39 पर आरंभ हुई थी तथा यह 1:37 मिनट तक निरंतर चलती रही। हिमाचल प्रदेश सरकारी अधिकारियों तथा एनएचएआई के अधिकारियों की सूची जिन्होंने कार्यवाही में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी यह परिशिष्ट-1 में मूल रूप से संलग्न है तथा भाग लेने वालों की सूची परिशिष्ट-2 में मूलतः संलग्न है। सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रतिनिधित्व की मूल प्रति परिशिष्ट-3 में संलग्न है तथा डीसी कार्यालय सोलन में बाद में प्राप्त प्रतिनिधित्व परिशिष्ट-4 में संलग्न की गई है।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा आरंभिक एवं परिचयात्मक संबोधन के पश्चात सार्वजनिक सुनवाई के अध्यक्ष, एडीसी सोलन ने सहभागियों को संबोधित किया। इसके बाद एनएचएआई के कार्मिकों द्वारा प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण दिया गया था। इसके तत्पश्चात जनता को प्रस्तावित परियोजना के विषय में अपनी चिंताएं/राय अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाए गए विशेष मुद्दे साथ में प्रस्तावित परियोजनाओं पर टिप्पणियों एवं विचारों को नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

क्र. सं.	सहभागियों का नाम श्री/श्रीमति	उठाए गए मुद्दे	प्रतिउत्तर/अवलोकन
01	जेएल सूद (सेवानिवृत भूविज्ञेयज्ञ)	(1) परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है? कृपया स्पष्ट करें (2) हम लोग पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं और बहुत ही शांतीप्रिय लोग है, आज तक हम लोगों ने कभी भी ट्रैफिक जाम को नहीं देखा है, यहां पर यातायात बहुत ही सरल है तथा आप लोग 30 से 50 वर्ष आगे की सोच रहे हैं परंतु हमारा जीवन यहां बहुत ही शांतीपूर्ण है। अब आपको यह निर्णय लेना है कि विकास को समृद्धता की जरूरत है अथवा विकास को शांती, समृद्धता एवं खुशहाली की जरूरत है। कृपया इन पहाड़ों को पहाड़ ही रहने दें उन्हें मैदान न बनाएं। चौड़ा करने से आशय है कटाई एवं भराई। (3) हम बहुत ही सौहार्द वातावरण में रह रहे हैं तथा हमारे पहाड़ बहुत ही कोमल हैं तथा उनकी संरचना बहुत ही कमजोर है, जो कि शिस्ट, मिट्टी, बालूई पत्थरों एवं चूना पत्थरों से बनी हुई है। पहाड़ी की उत्तरी ढलान जिस पर कंडाघाट स्थित है वहां पर बड़ी संख्या में जल स्त्रोत हैं तथा लोगों की सिंचित भूमियां हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों में वह पूरी तरह आत्मनिर्भर एवं अच्छा जीवन गुजर कर रहे हैं। कृपया वर्तमान पर्यावरण को हानि न पहुंचाएं। (4) कालका-शिमला एनएच बहुत ही स्थाई एवं मजबूत राजमार्गों में से एक है तथा इन ढालानों को मजबूत बनाने के लिए कई वर्ष लगे हैं। अगर आप अभी से कटाई आरंभ कर देंगे तो इसे मजबूत बनाने के लिए अन्य 20 वर्ष और लग जाएंगे तथा जैसा कि हम देख सकते हैं कि परवाणु के निचली तरफ संपूर्ण ढालान जेपी द्वारा सीमेंटिड की गई है। ऐसा परिदृश्य हम यहां नहीं चाहते हैं। हमारे यहां बहुत ही सुंदर जैव विविधता है पर्याप्त मात्रा में वनस्पति एवं जीव हैं तथा कंडाघाट एवं सोलन की तरफ कई जल स्त्रोत हैं। कृपया इनमें से किसी को भी भंग न करें।	यह राज्य सरकार की अनुसंशा पर है कि इस परियोजना को भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एनएचएआई द्वारा लिया जाए। इस क्षेत्र में यातायात जनगणना यह बताता है कि 2 लेन पर्याप्त नहीं है तथा आने वाले 10-15 वर्षों में यातायात में काफी वृद्धि होगी। जनता की सुरक्षा हेतु तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित है। यहां पर अब तक लगभग 8000 यात्रीकार इकाईयां हैं तथा आने वाले वर्षों में यह आशा की जाती है कि यह 17000-18000 पीसीयू हो जाएंगी।

02	पीसी सूद (पंचायत श्रीनगर)	(1) यह बहुत ही अच्छी बात है की यह जन सुनवाई आमंत्रित की गई थी परंतु इस तिथि से पहले ऐसी कोई भी सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी। जब सर्वेक्षण कराया गया था तथा एनएच को चौड़ा करने के बारे में हवा में कुछ अटकलें लगाई जा रही थीं उस समय ऐसी कोई भी सुनवाई नहीं कराई गई थी और न ही जनता को इसके बारे में सूचित किया गया था। आज तक हमें यह पता नहीं है कि यह सड़क कहां से गुजरेगी, किसी भूमि से गुजरेगी, किन लोगों को आपत्ति है इत्यादि तथा प्रभावित होने वाली जनता इन सभी विवरणों को जानना चाहती है उसके पश्चात ही प्रभावित जनता इस पेशकश हेतु अपनी आपत्ति दायर कर सकती है। (2) आप सभी लोग इस विषय में विशिष्ट हैं तथा इस परियोजना पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और अब आप एक बहुत ही छोटी रिपोर्ट (सुनवाई के समय जनता को इसकी एक प्रति दी गई है) के साथ आए हैं। यह विवरण जनता को पहले दिया जाना था जिससे कि पेशकश को ध्यानपूर्वक पढ़ने अथवा देखने के पश्चात जनता इसके अच्छे ढंग से अध्ययन कर पाती तथा उसके अनुरूप ही अपनी आपत्तियां दे सकती थी, इसके क्या लाभ हैं एवं क्या हानियां हैं उसको बता सकती थी। जैसे कि यह जनता को दी गई है, परंतु हम लोग इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तथा मात्र 15 मिनट के प्रस्तुतिकरण पर हम अपनी आपत्तियां दायर करने में असमर्थ हैं। अतः हमें इन सभी का अध्ययन करने के लिए और समय की आवश्यकता है तथा इसके पश्चात ही हम अपने विचार एवं उचित आपत्तियां दायर कर सकते हैं। उठाई गई आपत्तियां औचित्यपूर्ण होनी चाहिएं न कि बेतुकी। (3) जैसे कि मैं एक एडवोकेट हूं केवल एक ही दिन जब मैं एसडीएम के कार्यालय में गया था तब मैंने यह रिपोर्ट वहां देखी थी। इसे ध्यान-पूर्वक देखने के पश्चात मैंने यह पाया कि इसके अनुच्छेद 5.4.1 कंडाघाट से संबंधित है तथा इसे ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात मैंने यह पाया कि ''कंडाघाट शहर 115.000 से 118.700 के चैनेज के मध्य स्थित है इसके दोनों तरफ घर बने हुए हैं। इसके तीन विकल्प दिखते हैं। निम्न तालिका में प्रत्येक विकल्प का विवरण स्पष्ट रूप से रेखांकित है। सभी विकल्पों की तुलना करने के पश्चात पहले विकल्प को अनुसूचित किया गया है तथा विकल्प हैं: 1. 115.200 किमी. से आरंभ तथा बाईं और समाप्त 118.700 किमी. पर। इसका दोष यह है कि बाईं तरफ का विकल्प साध्य नहीं है जैसे कि उस तरफ कालका-शिमला रेल लाईन कंडाघाट स्टेशन की तरफ गहरी घाटी है तथा बस्ती है।'' इसे यह दोष मानते हैं। 2. वर्तमान सड़क को चौड़ा करना। इसका दोष यह है कि पर्याप्त आरओडब्ल्यू उपलब्ध नहीं हैं वहां पर अधिक मात्रा में रिहायशी एवं कमर्शियल स्थलों की तोड़फोड़ होगी। 3. 115.200 किमी. पर आरंभ तथा दाईं और 118.700 किमी. पर समाप्त। इसका दोष हैः यह विकल्प सबसे ज्यादा सही है जैसे कि सड़क निर्माण हेतु खाली भूमि एवं भूभाग उपलब्ध हैं। अब इन विवरणों के नीचे यह लिखा है कि 'उपरोक्त निर्दिष्ट सभी तथ्यों के आधार पर विकल्प-3 ही साध्य है।' (4) अब उपरोक्त विकल्प-1 को अनुसंशित किया गया है तथा निम्न विकल्प-3 को साध्य माना गया है, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि अनुसंशा एवं साध्यता में अंतर क्या है। (5) अगर हमारे पास खाली भूमि उपलब्ध है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सभी लोग पीढ़ियों से कंडाघाट में रह रहे हैं तथा हम सभी लोगों के मकान सड़क के साथ स्थित हैं। अब अगर खाली भूमि उपलब्ध है तो हमारे मकान क्यों गिराए जा रहे हैं।	आपकी पूछताछ के संबंध में कि हम लोगों को सर्वेक्षण के विषय में सूचित नहीं किया गया था तथा इस संबंध में आप लोगों को कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था कि कितनी भूमि एवं किसी भूमि अर्जित की जानी है, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण योजना बनाई थी तथा 3ए के तहत समुचित अधिसूचना की गई थी तथा इसके साथ ही अर्जित करने के विषय में हमने अपनी इच्छा भी लोगों को बताई थी एवं विभिन्न खसरा संख्या के बारे में भी बताया था। इस संबंध में सक्षम प्राधिकरण एसडीएम सोलन थे जिन्हें राज्यसरकार की अनुसंशा पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इस संबंध में सभी आपत्तियां एसडीएम सोलन को दायर की गई थी। केवल एसडीएम सोलन द्वारा निर्णय के बाद ही यह बाहर आएगी।
		(6) अभी तक आप लोगों ने सड़क के संरेखण के	कंडाघाट में आरंभ बिन्दु कंडाघाट से यूको बैंक

	विषय में हम लोगों को नहीं बताया है। प्रमुख बिन्दु यही है। हम लोगों को यह भी नहीं पता है कि किस बिन्दु से लेकर किस बिन्दु तक सड़क का संरेखण किया जाना है तथा अगर खाली भूमि उपलब्ध है तो यह बाईपास उस भूमि से संरेखित क्यों नहीं किया जा रहा है। आप हम लोगों के मकान क्यों गिरा रहे हैं। यहां 5 से 6 मंजिला तक की ईमारतें हैं तथा यह ईमारतें महाराजा पटियाला के समय से खड़ी हैं।	से है। बाईं तरफ एक सड़क बनाए जाने की पेशकश की गई है जो कि महल रोड एवं रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगी, इसके पश्चात एक सुरंग भी प्रस्तावित है तथा अंततः यह चौसा रोड जंक्शन के निकट मिलेगी। एक रेलवे लाईन सड़क के दाहिनी और है तथा इसे न छेड़ें क्योंकि यह एक विरासत स्थल है।
	(7) जहां तक मुझे ज्ञात है कम से कम 500 मकान वर्तमान संरेखण में गिराए जाएंगे। कुछ लोग बतौर किराएदार रह रहे हैं तथा अन्य मालिक हैं। लोगों को बेघर क्यों किया जा रहा है। यह बाईपास अन्य तरफ से क्यों नहीं बनाया जा रहा है जहां पर यह खाली भूमि उपलब्ध है।	
	(8) अधिकारियों से यह मेरा सविनय निवेदन है कि हमारे मकान बचाए जाएं तथा जहां पर खाली भूमि है तथा जहां जाम लगने की संभावना है एवं जहां संकीर्ण सड़कें हैं केवल उन्हें ही सही किया जाए। हम चार लेनिंग के सख्त खिलाफ हैं।	
	(9) कब तक ऐसरी परियोजनाएं जैसे कि नाथपा झाकड़ी 20 वर्ष के बाद भी काम करती रहेंगी, वह काम करना बंद कर देंगी? इन परियोजनाओं पर जाने के लिए पठानकोट की तरफ से साधन लें। आप इस एनएच पर इतना दबाव क्यों दे रहे हैं। परियोजनाओं के वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। जाम केवल सेब के मौसम में एवं परियोजनाओं के कारण ही लगते हैं अन्यथा जाम का कोई अन्य कारण नहीं है। राजगढ़ से एक विकल्प पहले से तैयार है तथा उस सड़क से ट्रक आएंगे, जाएंगे।	
	(10) मैं सविनय यह कहना चाहता हूं कि कृपया इस पेशकश पर पुनः विचार करें तथा यह जरूरी नहीं है कि हम इसे चार ले बनाएं, सरकार का यह पहला दायित्व है कि वह जनता के हित के बारे में सोचें।	
	(11) राजमार्ग अधिग्रहण अधिनियम एक अलग अधिनियम है तथा अन्य अधिग्रहण अधिनियम इससे अलग अधिनियम हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है राजमार्ग अधिग्रहण बहुत ही कड़ा अधिनियम है तथा यह दर्शाता है कि व्यक्ति को समुचित मुआवजा मिल रहा है अथवा नहीं तथा इससे अलग कुछ नहीं है।	
	(12) हम यहां पर समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं तथा एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आप एक सक्षम प्राधिकरण हैं तथा हम आपसे सिर्फ याचिका ही कर सकते हैं तथा आप हमारी समस्याओं को मीडिया के द्वारा सुलझा सकते हैं।	
	(13) मुझे राजमार्ग अधिग्रहण से संबंधित कानूनों के बारे में पता है तथा भूमि के सामान्य अधिग्रहण के बारे में भी पता है। यह एक राष्ट्रीयराजमार्ग अधिग्रहण अधिनियम है तथा इसका क्षेत्र काफी सीमित है।	
	(14) आपके पटवारी इस संपूर्ण विषय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बीत कल में मैं एक पटवारी से मिला तथा वह मुझसे कह रहा था कि कल कौन सी बैठक है। मुझे यह भी पता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोगों ने एक बैठक आयोजित की थी जिसमें मैं भी आया था तथा जब मैं आया तो पटवारी में मुझसे कहा की आपको सिर्फ पैसा ही मिलेगा और कुछ नहीं।	जन सुनवाई के विषय में सूचना का प्रसार एवं प्रोजैक्ट रिपोर्ट सभी प्रभावित पंचायतों एसडीएम कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में दे दी गई थी। तथा इसकी साफ्ट प्रतियां भी प्रसारित की गई थी। इसमें विलंब सिर्फ चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के कारण ही हुआ था। कंडाघाट में फ्लाई ओवर यूको बैंक से आरंभ होगा।
	(15) जो भी सुझाव के रूप में पेशकश बताए गए हैं होने वाले प्रभावों के बारे में भी जो भी हमें बताया गया है तथा परियोजना के विषय में जो भी आवश्यक विवरण बताए गए हैं यह जनता को अवश्य बताए जाने चाहिएं।	
	(16) मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में किसी अन्य कंपनी ने कोई सर्वेक्षण किया है अथवा नहीं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह स्पैन कंपनी द्वारा कराया गया था।	इस संबंध में हमें कुछ भी पता नहीं है जैसे कि इसका एनएचएआई से कुछ भी लेना-देना नहीं है।

03.	दिनेश शर्मा (गांव धलोग)	(1) आपने हमें यह बताया है कि आरंभ बिन्दु 115.200 है यह ढेकघाट के निकट है। अगर 600 मीटर लंबा पुल अन्य स्थान पर प्रस्तावित हो सकता है तो एक सस्पेंशन ब्रिज कंडाघाट क्षेत्र में क्यों नहीं बनाया जा सकता। (2) आपकी पुस्तक सारांश है यह बताता है कि ऐसे पुल बनाए गए हैं तथा इसलिए यहां पर भी एक पुल बनाया जाना जरूरी है।	यह बनाया जा सकता है तथा इस संबंध में आप अपना सुझाव दे सकते हैं।
04.	ब्रह्मदेव सूद	(1) यह पेशकश 12 वर्ष पहले पेश की गई थी तथा इसका ठेका स्पैन इंडिया को दिया गया था इस कंपनी ने तीन वर्ष तक कार्य किया तथा सर्वेक्षण, तकनीकी साध्यता कराई गई थी। अंततः उन्होंने 3 प्रस्ताव दिए जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। क्यों यह पेशकश डिब्बे में डाल दी गई। यह मुद्दा आज फिर क्यों नहीं उठाया गया, पहले वाले प्रस्ताव क्यों नजर अंदाज किया गया। उस समय कंडाघाट में बाईपास बनाने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं था। अगर हम दोनों प्रस्तावों की तुलना करें तो यह पाएंगे कि पहला प्रस्ताव बेहतर था। (2) तुलना करें कि कौन सा प्रस्ताव ज्यादा नुकसान करने वाला है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि पहला प्रस्ताव क्यों रद्द कर दिया गया।	हम इसपर विचार करेंगे
05.	बीआर शर्मा (सोलन से)	(1) मुझे पहले सर्वेक्षण के बारे में भी ज्ञात है। उस समय परवाणु से सोलन तक के लोगों को आपत्तियां उठाने के लिए कहा गया तथा एक व्यक्ति जिसका नाम श्री भाग सिंह है यह वहीं पर था तथा मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह बताया गया कि जन सुनवाई सब्जी मंडी में होगी जो कि बाद में रद्द कर दी गई। मैंने उससे कहा कि आप कौन हैं जो हमारी आपत्तियां सुनेंगे। मैंने उसे रिपोर्टों एवं नक्शों के बारे में पूछा। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। अब आप देख सकते हैं की एनएचएआई किस प्रकार कार्य करता है। परवाणु से सोलन तक का रास्ता क्यों नहीं बनाया गया। पिंजौर से परवाणु का राजमार्ग दोषपूर्ण है, इस रास्ते पर कई गतिरोधक हैं तथा आप सोलन से शिमला तक राजमार्ग बनाने की बात कर रहे हैं। (2) यह 360 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट था जो बाद में 680 करोड़ रूपए का हो गया तथा अब यह 1786 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट है जो कि सोलन से शिमला तक के लिए ही होगा। मैंने बीते कल ईमेल के द्वारा अध्यक्ष एचपीएस पीसीबी को अपनी आपत्ति जमा कराई है। (3) हम लोगों को जो भी दस्तावेज दिखाए गए हैं तथा पेशकश जो हमें दिखाए गए हैं वह हमें यह बताता है कि राजमार्ग के एक तरफ 15 से 20 मीटर की ऊंची रिटेनिंग दीवार होगी। आप मुझे यह बताएं कि अगर घाटी की तरफ 20 मीटर ऊंची रिटेनिंग दीवार होगी तथा यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के अधीन आता है जहां निचले क्षेत्र में रह रहे लोग हमेशा जोखिम के साए में रहेंगे। अगर 20 मीटर ऊंची दीवार गिर गई गई तो इसका परिणाम क्या होगा। जहां तक मेरा मानना है आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है। (4) मैंने 100 पृष्ठों के सारांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा अगर कार्य घोषणा के अनुरूप नहीं किया गया तो मैं न्यायालय का दरवाजा खट-खटाऊंगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पूर्व पेशकश को न्यायालय में मेरे द्वारा चुनौती दी गई है। (5) सोलन तक के रास्ते के लिए मैंने अपनी आपत्तियां दायर की हैं। (6) पटवारी एवं कानूनगो हमें परियोजनाओं के विवरण के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। आरटीआई के तहत मैंने नक्शों की भी मांग की थी। मुझे यह बताया गया कि प्राधिकरण के पास कोई भी नक्शा उपलब्ध नहीं है। यह जनता को गुमराह करने तथा प्रक्रिया के तहत पैसा कमाने का एक जरिया है। आप मुझे यह बताएं कि परवाणु से सोलन तक रास्ता क्यों नहीं बनाया गया। (7) कम से कम परवाणु से सोलन तक राजमार्ग बनाएं तथा उसके बाद ही सोलन से शिमला के रास्ते के बारे में बात करें। मैं यह कह सकता हूँ कि यह नहीं बनेगा। (8) जैसा कि 76.2.2 सारांश में मैं देख सकता हूँ	

		विषय में हम लोगों को नहीं बताया है। प्रमुख बिन्दु यही है। हम लोगों को यह भी नहीं पता है कि किस बिन्दु से लेकर किस बिन्दु तक सड़क का संरेखण किया जाना है तथा अगर खाली भूमि उपलब्ध है तो यह बाईपास उस भूमि से संरेखित क्यों नहीं किया जा रहा है। आप हम लोगों के मकान क्यों गिरा रहे हैं। यहां 5 से 6 मंजिला तक की ईमारतें हैं तथा यह ईमारतें महाराजा पटियाला के समय से खड़ी हैं।	से है। बाईं तरफ एक सड़क बनाए जाने की पेशकश की गई है जो कि चहल रोड एवं रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगी, इसके पश्चात एक सुरंग भी प्रस्तावित है तथा अंततः यह चौसा रोड जंक्शन के निकट मिलेगी। एक रेलवे लाईन सड़क के दाहिनी ओर है तथा इसे न छेड़ें क्योंकि यह एक विरासत स्थल है।
		(7) जहां तक मुझे ज्ञात है कम से कम 500 मकान वर्तमान संरेखण में गिराए जाएंगे। कुछ लोग बतौर किराएदार रह रहे हैं तथा अन्य मालिक हैं। लोगों को बेघर क्यों किया जा रहा है। यह बाईपास अन्य तरफ से क्यों नहीं बनाया जा रहा है जहां पर यह खाली भूमि उपलब्ध है।	
		(8) अधिकारियों से यह मेरा सविनय निवेदन है कि हमारे मकान बचाए जाएं तथा जहां पर खाली भूमि है तथा जहां जाम लगने की संभावना है एवं जहां संकीर्ण सड़के हैं केवल उन्हें ही सही किया जाए। हम चार लेनिंग के सख्त खिलाफ हैं।	
		(9) कब तक ऐसरी परियोजनाएं जैसे कि नाथपा झाकड़ी 20 वर्ष के बाद भी काम करती रहेंगी, वह काम करना बंद कर देंगी? इन परियोजनाओं पर जाने के लिए पठानकोट की तरफ से साधन लें। आप इस एनएच पर इतना दबाव क्यों दे रहे हैं। परियोजनाओं के वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। जाम केवल सेब के मौसम में एवं परियोजनाओं के कारण ही लगते हैं अन्यथा जाम का कोई अन्य कारण नहीं है। राजगढ़ से एक विकल्प पहले से तैयार है तथा उस सड़क से ट्रक आएंगे, जाएंगे।	
		(10) मैं सविनय यह कहना चाहता हूँ कि कृपया इस पेशकश पर पुनः विचार करें तथा यह जरूरी नहीं है कि हम इसे चार ले बनाएं, सरकार का यह पहला दायित्व है कि वह जनता के हित के बारे में सोचें।	
		(11) राजमार्ग अधिग्रहण अधिनियम एक अलग अधिनियम है तथा अन्य अधिग्रहण अधिनियम इससे अलग अधिनियम हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है राजमार्ग अधिग्रहण बहुत ही कड़ा अधिनियम है तथा यह दर्शाता है कि व्यक्ति को समुचित मुआवजा मिल रहा है अथवा नहीं तथा इससे अलग कुछ नहीं है।	
		(12) हम यहां पर समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं तथा एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आप एक सक्षम प्राधिकरण हैं तथा हम आपसे सिर्फ याचिका ही कर सकते हैं तथा आप हमारी समस्याओं को मीडिया के द्वारा सुलझा सकते हैं।	
		(13) मुझे राजमार्ग अधिग्रहण से संबंधित कानूनों के बारे में पता है तथा भूमि के सामान्य अधिग्रहण के बारे में भी पता है। यह एक राष्ट्रीयराजमार्ग अधिग्रहण अधिनियम है तथा इसका क्षेत्र काफी सीमित है।	
		(14) आपके पटवारी इस संपूर्ण विषय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बीते कल में मैं एक पटवारी से मिला तथा वह मुझसे कह रहा था कि कल कौन सी बैठक है। मुझे यह भी पता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोगों ने एक बैठक आयोजित की थी जिसमें मैं भी आया था तथा जब मैं आया तो पटवारी ने मुझसे कहा की आपको सिर्फ पैसा ही मिलेगा और कुछ नहीं।	जन सुनवाई के विषय में सूचना का प्रसार एवं प्रोजैक्ट रिपोर्ट सभी प्रभावित पंचायतों एसडीएम कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में दे दी गई थी। तथा इसकी साफ्ट प्रतियां भी प्रसारित की गई थी। इसमें विलंब सिर्फ चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के कारण ही हुआ था। कंडाघाट में फ्लाई ओवर यूको बैंक से आरंभ होगा।
		(15) जो भी सुझाव के रूप में पेशकश बताए गए हैं होने वाले प्रभावों के बारे में भी जो भी हमें बताया गया है तथा परियोजना के विषय में जो भी आवश्यक विवरण बताए गए हैं वह जनता को अवश्य बताए जाने चाहिएं।	
		(16) मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में किसी अन्य कंपनी ने कोई सर्वेक्षण किया है अथवा नहीं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह स्पैन कंपनी द्वारा कराया गया था।	इस संबंध में हमें कुछ भी पता नहीं है जैसे कि इसका एनएचएआई से कुछ भी लेना-देना नहीं है।

03.	दिनेश शर्मा (गांव धलोग)	(1) आपने हमें यह बताया है कि आरंभ बिन्दु 115.200 है यह देवघाट के निकट है। अगर 600 मीटर लंबा पुल अन्य स्थान पर प्रस्तावित हो सकता है तो एक सस्पेंशन ब्रिज कंडाघाट क्षेत्र में क्यों नहीं बनाया जा सकता। (2) आपकी पुस्तक सारांश है यह बताता है कि ऐसे पुल बनाए गए हैं तथा इसलिए यहां पर भी एक पुल बनाया जाना जरूरी है।	यह बनाया जा सकता है तथा इस संबंध में आप अपना सुझाव दे सकते हैं।
04.	ब्रह्मदेव सूद	(1) यह पेशकश 12 वर्ष पहले पेश की गई थी तथा इसका ठेका स्पैन इंडिया को दिया गया था इस कंपनी ने तीन वर्ष तक कार्य किया तथा सर्वेक्षण, तकनीकी साध्यता कराई गई थी। अंततः उन्होंने 3 प्रस्ताव दिए जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। क्यों यह पेशकश डिब्बे में डाल दी गई। यह मुद्दा आज फिर क्यों नहीं उठाया गया, पहले वाले प्रस्ताव क्यों नजर अंदाज किया गया। उस समय कंडाघाट में बाईपास बनाने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं था। अगर हम दोनों प्रस्तावों की तुलना करें तो यह पाएंगे कि पहला प्रस्ताव बेहतर था। (2) तुलना करें कि कौन सा प्रस्ताव ज्यादा नुकसान करने वाला है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि पहला प्रस्ताव क्यों रद्द कर दिया गया।	हम इसपर विचार करेंगे
05.	बीआर शर्मा (सोलन से)	(1) मुझे पहले सर्वेक्षण के बारे में भी ज्ञात है। उस समय परवाणु से सोलन तक के लोगों की आपत्तियां उठाने के लिए कहा गया तथा एक व्यक्ति जिसका नाम श्री भाग सिंह है यह यहीं पर था तथा मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह बताया गया कि जन सुनवाई सब्जी मंडी में होगी जो कि बाद में रद्द कर दी गई। मैंने उससे कहा कि आप कौन हैं जो हमारी आपत्तियां सुनेंगे। मैंने उसे रिपोर्टों एवं नक्शों के बारे में पूछा। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। अब आप देख सकते हैं की एनएचएआई किस प्रकार कार्य करता है। परवाणु से सोलन तक का रास्ता क्यों नहीं बनाया गया। पिंजौर से परवाणु का राजमार्ग दोषपूर्ण है, इस रास्ते पर कई गतिरोधक हैं तथा आप सोलन से शिमला तक राजमार्ग बनाने की बात कर रहे हैं। (2) यह 360 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट था जो बाद में 680 करोड़ रूपए का हो गया तथा अब यह 1786 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट है जो कि सोलन से शिमला तक के लिए ही होगा। मैंने बीते कल ईमेल के द्वारा अध्यक्ष एचपीएस पीसीबी को अपनी आपत्ति जमा कराई है। (3) हम लोगों को जो भी दस्तावेज दिखाए गए हैं तथा पेशकश जो हमें दिखाए गए हैं यह हमें यह बताता है कि राजमार्ग के एक तरफ 15 से 20 मीटर की ऊंची रिटेनिंग दीवार होगी। आप मुझे यह बताएं कि अगर घाटी की तरफ 20 मीटर ऊंची रिटेनिंग दीवार होगी तथा यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के अधीन आता है जहां निचले क्षेत्र में रह रहे लोग हमेशा जोखिम के साए में रहेंगे। अगर 20 मीटर ऊंची दीवार गिर गई गई तो इसका परिणाम क्या होगा। जहां तक मेरा मानना है आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है। (4) मैंने 100 पृष्ठों के सारांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा अगर कार्य घोषणा के अनुरूप नहीं किया गया तो मैं न्यायालय का दरवाजा खट-खटाऊंगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पूर्व पेशकश को न्यायालय में मेरे द्वारा चुनौती दी गई है। (5) सोलन तक के रास्ते के लिए मैंने अपनी आपत्तियां दायर की हैं। (6) पटवारी एवं कानूनगो हमें परियोजनाओं के विवरण के बारे में कुछ नहीं बता सकते है। आरटीआई के तहत मैंने नक्शों की भी मांग की थी। मुझे यह बताया गया कि प्राधिकरण के पास कोई भी नक्शा उपलब्ध नहीं है। यह जनता को गुमराह करने तथा प्रक्रिया के तहत पैसा कमाने का एक जरिया है। आप मुझे यह बताएं कि परवाणु से सोलन तक रास्ता क्यों नहीं बनाया गया। (7) कम से कम परवाणु से सोलन तक राजमार्ग बनाएं तथा इसके बाद ही सोलन से शिमला के रास्ते के बारे में बात करें। मैं यह कह सकता हूँ कि यह नहीं बनेगा। (8) जैसा कि 76.2.2 सारांश में मैं देख सकता हूँ	

		कि यह राजमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग है क्योंकि इस राजमार्ग पर पर्यटकों का आना जाना बहुतायत में होता है। अगर पर्यटक बहुत ज्यादा जरूरी है तथा उद्योग जरूरी है तो एक वैकल्पिक संरेखण बनाएं।	
		(9) अब यहां पर सड़कों पर टोल टैक्स बैरियर भी होगा तथा आप स्मार्ट टैक्स लगाएंगे। जबकि यह रोड आप पर्यटकों एवं उद्योगों के मद्देनजर बना रहे हैं परंतु टोल की उगाही आप हमसे करेंगे। हम लोगों को बड़े उद्योगपतियों से कुछ नहीं लेना है। हम चाहते हैं कि हमारी शांति एवं संस्कृति सुरक्षित रहे।	
		(10) आपने कहा कि हम सोलन के आरंभ से लगभग 1 किमी. के दायरे में 11 सड़कों से नदी तल से बालू निकालेंगे। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आज आपने जो प्रस्तुतिकरण में पेश किया है वह सही है अथवा जो आपने कार्यकारी सारांश में दिया है वह सही है, सबसे पहले हमें यह बताएं उसके बाद ही हम आगे कार्यवाही करेंगे।	आपने जो भी कहा है हमने उसे अपने रिकार्ड में ले लिया है।
		(11) आज आप हमें 15 से 20 मीटर ऊंची दीवार के बारे में बता रहे हैं। जबकि दूसरी ओर कार्यकारी सारांश केवल 12 मीटर ऊंची दीवार के बारे में बता रहा है। कृपया इसे विस्तार पूर्वक बताएं। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा उनका समय बर्बाद कर रहे हैं।	यहां पर एक रिटेनिंग वाल होगी परंतु यह हर जगह नहीं होगी यह कुछ स्थानों पर ही होगी।
		(12) आपने भूकंप प्रणाली के बारे में भी कुछ व्यक्त नहीं किया है।	हम ईआईए अध्ययन में आपके सुझावों को सम्मिलित करेंगे। सभी डिजाईन भूकंप को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं तथा यह असुरक्षित नहीं है। परवाणु से सोलन तक जो भी परिवर्तन किए जाने हैं वह विचाराधीन हैं। चाम्बली, धर्मपुर के लोगों की समस्याएं हैं। तथा कंडरोर पुल पर कुछ बदलाव किए गए हैं। भूकंप क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एशिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग बनाया जाएगा।
		(13) हमने आपको पेशकश दे दी है तथा अगर इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम कुछ ऐसा करेंगे जो सही होगा।	
	अध्यक्ष (एबीवीपी सोलन)	(1) कार्यकारी सारांश में कुछ विसंगतियां हैं तथा उसका विवरण आज एनएचएआई द्वारा दिया गया है। हमें प्रोजेक्ट को पूर्णतः खारिज नहीं करना चाहिए। हम सभी समस्याओं के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। हम सभी विषयों पर गहनता से विचार करेंगे।	
06.	ईश्वर ठाकुर (प्रधान)	(1) आपने यह बताया है कि पंचायतों को परियोजनाओं के बारे में विवरण दिए गए थे परंतु अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है।	
		(2) आपने हमें बताया कि संरेखण क्या है तथा जैसे कि हमें कुछ पता नहीं है अतः हम लोग आपत्तियां कैसे दायर करें। कृपया इस विषय में हमें बताएं।	जैसे कि पहले भी यह बताया गया है कि 3 ए के तहत जब भी अधिसूचना आएगी तो उसमें उस भूमि का विवरण होगा जो कि अर्जित की जानी अपेक्षित है। सामान्यतः वर्तमान भूमि दोनों तरफ से चौड़ी की जाएगी। फिर भी अगर आप विवरण देखना चाहते हैं तो आप शिमला में परियोजना निदेशक के कार्यालय में आ सकते हैं।
07.	दीपक कुमार	(1) मेरा घर रोड हैड पर है। मुझे यह पता चला है कि मेरी जमीन अर्जित की जाएगी जिससे कि परिवेश में दूरिस्ट होटल को बनाया जा सके।	अधिग्रहण निष्पक्ष ज्यामिती अनुसार दोनों तरफ किया गया है। आप एनएचएआई कार्यालय में आरेखों को देखने के लिए शिमला कभी भी आ सकते हैं।
		(2) हम यह चाहते हैं कि जो भी सर्वेक्षण हमें बताया गया है वह प्रयोगात्मक है अथवा सामान्य सर्वेक्षण है।	
08.	मनीश शर्मा	(1) आज आप यहां हमारी समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, इन रिपोर्टों को बनाने के लिए अवश्य ही आपने काफी मात्रा में धन खर्च किया होगा क्योंकि आपसे बार-बार यही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हमारी जमीन अर्जित की जानी है अथवा नहीं परंतु आप उत्तर देने में असमर्थ हैं	
		(2) यहां पर एलसीडी है, प्रोजैक्टर है कम से कम आप हमें इसकी प्रस्तुति तो दे ही सकते हैं। क्या आपके पास साफ्ट रूप में कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है।	
		(3) हम प्रस्तुति में दिए गए विवरणों को आसानी से समझ सकते हैं।	
		(4) आप बार-बार यही कह रहे हैं कि लोग शिमला आएं तथा वहां पर विवरण देखें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप आज हमें विवरण क्यों नहीं दे सकते, जबकि जन सुनवाई आयोजित की गई है।	
		(5) आप उन्हें पंचायत विवरणों के बारे में बता सकते थे। तभी हम अपनी आपत्तियां दायर कर सकते हैं।	
		(6) आप यह कह रहे हैं कि विवरण इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप मुझे यह बताएं कि कितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं।	
		(7) आप कह रहे हैं कि आपत्तियां दायर करने हेतु बीते कल अप. 3.15 बजे एक बैठक आयोजित की गई थी। इतनी जल्दी कौन आपत्ति दायर कर सकता है।	जनता को जन संबोधन प्रणाली द्वारा सूचित किया गया था। सभी पंचायतों को सूचित किया गया था तथा संदर्भ हेतु उन्हें कार्यकारी सारांश भी दिया गया था। सूचनाएं सभी पंचायत रेन शैल्टरों एवं बैंक स्टैंडों पर चस्पाई गई थी जिससे कि इसे अधिकतम कवरेज मिल सके।
		(8) प्रस्तावित परियोजना अभी भी हमारे सामने नहीं है।	
		(9) कंडाघाट में आप एक किमी. के लिए बाईपास दे रहे हैं जबकि शोघी के लिए आप 5 किमी. के लिए बाईपास दे रहे हैं। कृपया इसके बारे में हमें बताएं। अगर आप आज से 40 साल बाद सोलन को देखेंगे तो सोलन के लिए भी बाईपास की जरूरत पड़ेगी।	

		(10) आज तक इस रास्ते में लोग अपना मकान बना रहे हैं अगर आप कंडाघाट में इस विस्तार से एक बाईपास एवं एक फ्लाई ओवर बनाने की कल्पना कर रहे हैं तो कुछ वर्षों बाद एक अन्य बाईपास की जरूरत पड़ेगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि आप सोलन की तरफ से कुछ किमी. की दूरी से इस फ्लाईओवर को आरंभ करें।	इस पेशकश की तकनीकी साध्यता का अध्ययन किया जा सकता है।
		(11) मुआवजे के लिए क्यो सूत्र एवं नीति है, अगर मुझे पुनः स्थापित किया जाता है तो मुझे जमीन कहां मिलेगी। उस स्थिति में मैं अपना व्यवसाय कहां स्थापित करूंगा।	सभी विस्तापित परिवारों को भूमि दे दी गई है तथा वह आर एवं आर पैकेज में आते हैं। सभी मुआवजे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार हैं।
		(12) मेरा मुआवजा क्या होगा अगर विस्थापित के कारण मेरा जीवनयापन अस्त-व्यस्त हो गया। अगर मेरा कर्मशियल स्थान एवं जीवनयापन समाप्त हो जाता है तो मुझे कर्मशियल स्थान दिया जाना चाहिए।	
	अध्यक्ष एडीसी सोलन	(1) एनएचएआई के पास खसरा अनुसार कोई भी स्पष्टता नहीं है तथा इस सुनवाई में ऐसे विवरणों को देना संभव नहीं है, जैसे कि अभी तक किसी का निर्णय अथवा निर्धारण नहीं किया गया है परंतु एनएचएआई कंडाघाट से आगे प्रयोगात्मक संरेखण के बारे में बता सकता है। एनएचएआई आज जनता को विस्तार में संरेखण के बारे में बताएगा जिससे कि जनता सुझाव के प्रति अपनी राय दे सकें।	
10.	धर्मदत्त (प्रधानः बिशा)	(1) हमारी पंचायत वकनाघाट से आरंभ होती है आज तक हमें संरेखण के विषय में कुछ भी पता नहीं है। हमें आपसे कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कोई पेशकश प्राप्त हुई है।	
		(2) हमें यह पता चला है कि कुछ समय पहले कुछ माप लिया गया था तथा इसके सिवा कुछ नहीं किया गया था।	
		(3) आप हमारे क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा कैसे करेंगे आप कैरीघाट क्षेत्र में कूड़ा-कर्कट कहां डालेंगे। निचले क्षेत्र में रह रहे लोग क्या करेंगे जब ऊपर से कूड़ा-कर्कट उनपर गिरेगा।	
		(4) कैथलीघाट क्षेत्र में दोनों तरफ रेलवे लाईन है हमारा क्षेत्र तो समाप्त हो जाएगा। उस क्षेत्र के स्थानिय निवासियों के जीवनयापन का क्या होगा। क्षेत्र के स्थानिय निवासियों के बारे में क्या सोचा है।	सरकार द्वारा नियुक्त भूमि के मूल्यांकन हेतु एसडीएम सोलन सक्षम प्राधिकरण हैं।
		(5) कृपया हमें इसकी सूचना दें जिससे कि हम हमारी पंचायत में अन्य लोगों को भी यह सूचना पहुंचा सकें।	
11.	आदित्य महाजन (सोलन)	(1) आपको यह नहीं लगता है कि इस नक्शे को आपको इंटरनेट पर डाल देना चाहिए तथा पेशकश की प्रति प्रत्येक पंचायत को देनी चाहिए	
		(2) आपने यह कहा कि जहां भी संरेखण में रेलवे लाईन है वहां पर कोई भी कटिंग नहीं की जाएगी	
		(3) हम उस रेलवे भूमि को क्यों नहीं अधिग्रहित कर लेते हैं जो कि खाली पड़ी हुई है। जिससे कि लोगों के मकान टूटने से बच सकें।	यह संभव नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि यह संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल है।
		(4) आप इस परियोजना के लिए सरकारी भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं।	

क्र. सं.	सहभागियों का नाम श्री/श्रीमति	उठाए गए मुद्दे	प्रतिउत्तर/अवलोकन
12.	रजनी शर्मा (प्रधान)	(1) (2) मैं उन सभी लोगों के साथ हूँ जिन्होंने यहां अपने विचार रखें हैं। (3) मैं चार लेनिंग का स्वागत करती हूँ परंतु मुझे उन लोगों की भी चिंता है। मैं यह चाहती हूँ कि यह परियोजना कहीं और आरंभ की जाए जिससे कि किसी का भी मकान न गिरे। मैं यह चाहती हूँ कि आप हर व्यक्ति की समस्याओं का ध्यान रखें। (4) सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी की कृषक जो अपनी संपूर्ण भूमि इसमें गवां देंगे क्या वह रिकार्ड पर कृषक ही रह पाएंगे? मुझे इस प्रश्न का उत्तर मेरी पंचायत के लोगों को देना है।	यह लोग हिमाचली श्रेणी के भूमिहीनों की परिभाषा में आएंगे। यह एनएचपीसी अथवा कोल्ड आर्म में भी हुआ था तथा जनता को इसका मुआवजा दिया गया था यह सभी लोग कृषक ही रहेंगे।
13.	शेखर शर्मा	(1) आप लोग भूमि अधिग्रहण कब करेंगे, आप मुआवजे की कौन सी दर देंगे? टिहरी बांध के लोगों के साथ भी यही हुआ था उन्हें बहुत ही कम दर पर मुआवजा मिला था। जब तक हमें मुआवजा मिलेगा तब तक दरों में और परिवर्तन हो जाएगा।	मूल्यांकन वर्तमान तिथि पर किया गया है। सक्षम प्राधिकरण को मुआवजे की दर निर्धारित करने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है अगर मुआवजा मिलने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप शिमला में सरकार द्वारा नियुक्त विवाचक को अपील कर सकते हैं।
14.	लक्ष्मी दत्त	(1) यद्यपि भूमिहीनों को मुआवजा मिलेगा परंतु मैं अपनी कृषि भूमि से प्राप्त हो रहे जल को भी खो दूंगा। मेरी भूमि की अवस्थिति ऐसी है कि अगर इसे चौड़ा किया गया तो मेरे खेतों में आ रहा पानी सूख जाएगा। क्या मुझे मुआवजा मिलेगा।	क्षेत्र में सभी जल स्त्रोतों को सुरक्षित रखा जाएगा तथा इस संबंध में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
15.	मनोज	(1) जब आप सड़क बनाएंगे तो आप सड़क के साथ रेलिंग भी बनाएंगे। उन स्थानियनिवासियों का क्या होगा जो लोग शाखा सड़कों की तरफ अपने वाहन पार्क करते हैं एवं लेकर जाते हैं। (2) पिंजौर में अगर आप देखेंगे तो वहां पाएंगे कि औसतन प्रत्येक 50 मीटर पर एक मकान है परंतु वहां पहुंचने का मार्ग बहुत सीमित है। (3) अगर आप रिटेनिंग दीवार बनाएंगे तो क्या उपागम्यता बनी रहेगी। परवाणु बाईपास में सड़क दोनों तरफ से रेलिंग से बंद कर दी गई है। (4) रेलिंग के कारण मवेशी कैसे सड़क पार करेंगे।	यह हर जगह बंद नहीं की जाएगी। जहां पर इसे बंद किया जाएगा वहां सर्विस लेन बनाई जाएगी। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा।

16.	बिघी राम	(1) अगर आपके पास नक्शा है तो इसे पंचायत अनुसार स्पष्ट करें। आप इसे हमें समझा नहीं पाए हैं। (2) कैरीघाट में यह लिखा गया है कि वहां से तीन किमी. की सुरंग है। (3) आपको यह बिन्दु हमें स्पष्ट करने हैं।	उस क्षेत्र में कोई भी सुरंग नहीं है केवल वर्तमान संरेखण को ही चौड़ा किया जाएगा। हमारे पास नक्शे होंगे जब 3 ए आएगा।
17.	जयराम कश्यप	(1) हमारी भूमि निचली तरफ है तथा घास के मैदान सड़क के ऊपरी तरफ हैं। अतः आवागमन भंग नहीं होना चाहिए। मवेशी किस तरह आएंगे-जाएंगे, जब रिटेनिंग वॉल बन जाएगी तो हमारा आवागमन कैसा होगा।	ग्रामीणों के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
18.	शेखर	(1) मेरा आधा मकान संरेखण में पड़ता है। तो मुझे मुआवजा कैसे मिलेगा?	इसे देखा जाएगा। वहां पर कोई एक्सपेंशन ज्वाईंट है अथवा नहीं
19.	संदीप कुमार	(1) इस सुनवाई के विषय में सूचना बीते शाम तक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी।	अधिसूचना स्थानिय समाचार पत्रों में दी गई थी शासकीय संप्रेषण पंचायतों के साथ की गई थी तथा सारांश भी प्रावधान कराया गया था तथा अंतिम शाम जन संबोधन प्रणाली द्वारा जनता को इसके द्वारा बताया गया था।
20.	तरूण गुप्ता	(1) जो भी ईपीएम डंपिंग स्थल आपने पेश किए है वह फुलाव कारक को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमताओं के साथ चिन्हित किए जाने चाहिएं। पुर्नवासन एवं हरित हेतु प्रावधान भी चिन्हित किया जाना चाहिए।	यह डीबीएफओटी परियोजना में है तथा यह वन निकासी के पश्चात है कि जिसे हम बाद में देखेंगे तथा यह सभी चिन्हित स्थान इसमें निगमित होने चाहिएं तथा हमारी रिपोर्ट में नहीं होने चाहिएं।
21.	पीसी सूद	(1) आप द्वारा दी गई रिपोर्ट में पृष्ठ-4 कॉलम-2 में जहां पर आपने सड़क के साथ प्रमुख निवास स्थान के बारे में बताया है। कृपया आधे पक्के मकान, बड़े पक्के मकान एवं छोटे मकानों की परिभाषा बताएं। (2) अब हमारे साथ स्थल पर चलें तथा उसके बाद ही मकानों की किस्मों के बारे में टिप्पणी करें। कंक्रीट अर्ध पक्का है अथवा छोटा। आपने मकानों का वर्गीकरण कैसे किया है। कृपया बताएं।	हम आपके सुझावों पर विचार करेंगे।
22.	जेएल सूद (सेवानिवृत्त भूविशेषज्ञ)	(1) लोगों को संरेखण के बारे में पता नहीं है उन्हें आपकी तकनीकियों के बारे में भी पता नहीं है। आप प्रायोगिक रूप से संरेखण को चित्रित क्यों नहीं करते हैं। कृपया यह कार्य आरंभ करें। कृपया कंडाघाट बाईपास के बाईपासिंग के प्रावधान पर विचार करें। (2) आपने बड़ी आसानी से लिखा है कि इस क्षेत्र में कोई भी जल निकाय नहीं है। जाहिर है कि आप यहां नहीं रहते हैं। परंतु यहां स्त्रोत्त के रूप में कई छोटे जल निकाय हैं और आपने उन्हें नजर अंदाज किया है। (3) आपने एयर मॉनीटरिंग स्टेशन की अवस्थिति भी नहीं बताई है। परंतु आपने यह निर्दिष्ट किया है कि एयर मॉनीटरिंग कराया गया था। एक स्टेशन कितना क्षेत्र कवर करता है। (4) सोलन जिले में कहां पर एयर मॉनीटरिंग कराया गया था कृपया उन स्थानों को बताएं जिससे कि हम भी जान जाएं। (5) कृपया भूतल स्त्रोतों के बारे में बताएं जो आपने चिन्हित किए हैं। (6) यह सभी अभ्यास केवल पर्यटकों एवं उद्योग पतियों हेतु समृद्ध लोगों हेतु किए गए हैं। कृपया हमें तंग न करें और हमें शांतिपूर्वक रहने दें। हिमाचल प्रदेश शांति के लिए जाना जाता है।	यह राय मान ली जाएगी। वन रोपण वन विभाग द्वारा केवल इस कैचमेंट एरिया में ही किया जाएगा।

23.	विवेक सूद	(1) लगभग 5500 पेड़ों को काटा जाएगा। क्या यह परवाणु से सोलन अथवा सोलन से कंडाघाट के मध्य हैं कृपया इसे विनिर्दिष्ट करें। क्या आपने पेड़ों को काटने के कारण वनरोपण हेतु अवस्थिति की पहचान कर ली है एवं वन रोपण हेतु क्षेत्र की पहचान कर ली है। क्या आपने इसका निर्धारण किया है कि यह पेड़ सरकारी हैं अथवा निजी। मैं यह जानना चाहता हूँ। (2) पेड़ चंबाघाट से शिमला तक काटे जाएंगे। कृपया यह विनिर्दिष्ट करें कि यह निजी पेड़ होंगे अथवा सरकारी। कृपया यह भी विनिर्दिष्ट करें की पेड़ों को पुनः रोपित किया जाएगा अथवा नहीं। (3) मात्र मुआवजा देने से ही हमें आक्सीजन नहीं मिलेगा। आज हमारी बैठक प्रदूषण रोकने के लिए है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए है। सरकारी भूमि में पेड़ों की कटाई पर वनरोपण द्वारा कोई भी अशांति नहीं फैलाई जाएगी। (4) क्या आप पेड़ों को सड़क के पास अथवा कांगड़ा में किसी जगह लगाएंगे।	सरकारी भूमि पर पेड़ों के लिए प्रतिपूरक वृक्षा रोपण किया जाएगा। निजी भूमि में पेड़ों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। हम 5500 पेड़ काटने के स्थान पर 16000 पेड़ों का वृक्षारोपणन कर रहे हैं। हम सभी इस परियोजना में साझेदार हैं तथा वृक्षरोपण केवल इसी क्षेत्र में ही किया जाएगा।
24.	उमेद राम	(1) मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर कंडाघाट को बाईपास किया जाएगा तो मार्केट में जो सड़क है वह राष्ट्रीय राजमार्ग ही रहेगी। (2) एनएच के अंतिम विस्तार के दौरान जो भी हानि हमें उठानी पड़ी है जहां पर मेरी जमीन दो भागों में काटी गई है तथा सारा कूड़ा कर्कट मेरी जमीन पर फैंका गया है मुझे यह डर है कि इस बार भी वही होगा तथा मेरे खेतों को फिर से क्षति होगी। (3) इस बार मैं चाहता हूँ कि कूड़ा-कर्कट गिराने के लिए समुचित डंपिंग स्थल इस्तेमाल किया जाए तथा स्थानिय लोग इससे प्रभावित न हों।	बाईपास स्ट्रैच राज्यसरकार के पास जाएगा। हमारे पास समुचित डंपिंग स्थल होगा तथा हम किसी अन्य जगह कूड़ा-कर्कट नहीं फैकेंगे

एनएच-22 के चंबाघाट से शोघी अनुभाग की चार लेनिंग के विषय में एनएचएआई के ड्राफ्ट ईआईए की रिपोर्ट के विषय में सहभागियों का अपना विचार रखने के लिए एडीसी सोलन द्वारा आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्त की गई।

(श्री सी.पी. वर्मा)
अतिरिक्त जिला आयुक्त, जिला सोलन

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD
SCF- 6, 7, 8, Sec-4, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) 173220
Telefax- 01792-234081, Website: http://hppcb.nic.in/

PROCEEDINGS OF THE ENVIRONMENTAL PUBLIC HEARING ORGANISED BY THE HIMACHAL PRADESH STATE POLLUTION CONTROL BOARD HELD ON 27-02-2013 AT KANDAGHAT DISTT SOLAN, H.P. ON THE PROPOSAL OF NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA, MINISTY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS, GOVT. OF INDIA. FOR THE WIDENING AND IMPROVEMENT OF THE EXISTING 4 LANE ALIGHMENT OF SOLAN-SHIMLA SECTION OF NH-22 STARTING AT SOLAN AT KM 106.000 AND ENDING AT DHALLI AT KM 156.507 **(ENDING AT KM 132.230 IN SOLAN DISTT.)**.

The Environmental Public Hearing was convened by the Himachal Pradesh State Pollution Control Board on 27-02-2013 in the BDO office Kandaghat, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan H.P. at 11:00 am in order to invite the public suggestions, views, comments & objections on the proposal National Highways Authority Of India, Ministry of Road Transport & highways, Govt. Of India for the widening and improvement of the existing 4 lane alignment of Solan-Shimla section of NH-22 starting at Solan at KM 106.000 and ending at Dhalli at KM 156.507 **(ENDING AT KM 132.230 IN SOLAN DISTT)** H.P. in pursuance the notification of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India dated: 14-09-2006 to integrate to public views & objections on the above mention proposal.

The same was advertised in the local newspapers and through public information systems (loudspeakers) in the panchayats and on the highway to inform the local populace about this public hearing. Apart from this public notices were also posted on various rain shelters at bus stops to have wide spread coverage of the public hearing.

The proceedings of the public hearing process started at 11:39 am IST and continued till 01:37 pm. The list of H.P. Govt. Officers and officers of the NHAI who attended the proceeding is attached in original in Annexure-I and the list of participants is enclosed in original in Annexure-II. The original copy of representations received during the public hearing is attached in Annexure-III and representations received at later date in the DC office Solan are attached in Annexure IV.

After the welcome and introductory address by the Asstt. Environmental Engineer of the Himachal Pradesh State Pollution Control Board, the Chairman of the public hearing, ADM Solan addressed the participants. This was followed by a brief description of the proposed project by the official of the NHAI. After this the public was invited to express their concerns/opinions about the proposed project.

The specific issues raised during the public hearing vis-a- vis the comments & views on the proposed project are mentioned hereunder.

Sr. No.	Name of the Participants Shri./Smt.	Issues Raised	Reply / Observation
01.	JL Sood (Retd. Geologist)	(i) What is the objective of the project? Please Elucidate.	It is on the recommendation of the State Govt. that the project has been taken up by NHAI through the Ministry of Surface & Road Transport. The traffic census in this area tell us that 2 lanes are not adequate and the traffic will increase in next 10-15 years. For public safety and to avoid accidents it is required. There are about 8000 passenger car units as on date & in the coming years it is expected to be 17000-18000 PCU's
		(ii) We reside in the mountains, we are peaceful people, we never encounter traffic jams, the traffic movement is very smooth here and you are thinking 30 to 50 years ahead but today our life is very peaceful. You have to decide whether development needs affluence need affluence or or whether development needs peace prosperity & happiness Kindly let these hills remain as hills don't raze them to plains. Widening means cutting & filling.	
		(iii) We are living in very fragile environment our hills are fragile there are weak formations full of shale clay sandstones, & lime stones. The northern slope of the hills on which Kandaghat is located we have large no. of springs and people have irrigated lands and they are very well off under the present circumstances. Kindly don't tinker with the present environment.	
		(iv) Kalka Shimla NH is one of the most stable highways and it has taken a no. of years for the slopes to stabilize. If you start cutting now it will take more than 20 years to stabilization & and as we see from Parwanoo downwards, whole slopes have been cemented by Jaypee. We don't want to	

		have those scenes here. We have beautiful biodiversity, loads of flora & fauna & no. of springs here all along Kandaghat & Solan. Kindly don't disturb this all.	
02.	**PC Sood (Panchayat Sirinagar)**	(i) It is good that this public hearing has been called but before this date no such hearing was organised. When survey was carried out and talk about NH widening was in the air no public hearing was carried out at that point of time and public was never informed. Till date we don't know that from where this road will traverse, from whose land, who has objection etc. and there people need to know all the details then only the affected people can file objections to this proposal. (ii) You are all experts in this matter and are engaged in this project since long; and now what you have come up with such small report (copy of presentation given to the public at the time of hearing) These details should have been supplied to the public earlier so that after going through the contents of the proposal people could have studied it, raised objections, what are the demerits, what are the merits. Till it is supplied to the public, we are not experts but laymen and after a 15 min presentation we cant file the objections. So we require more time to study all this and only after that we can express our views & file reasonable objections. Objections must have some reasonable objections and not vague. (iii) As I am an Advocate and only one day when II visited the SDM office that I saw this report lying with him. After going through this if find in para 5.4.1 relates to Kandaghat and I the chair permits I can go through the contents of the same. "Kandaghat town is located between the chainages 115.000 to 118.700. The houses are located on both sides. Three options were explored. The description of the each of the option is clearly outlined in the following table. After comparing all the options, Option1 has been recommended. And options are: **1.** Starting at the km 115.200 and ending at km 118.700 on left. The disadvantage is: The left side option is not feasible due to deep valley Kalka-Shimla rail line Kandaghat Station and Habitation." They call it a demerit **2.** Widening along the existing road. The disadvantage is: The enough RoW is not	In regard to your query that we were not informed about the survey and no details made available to you regarding how much land and whose land will be acquired it is shared that we have made a land acquisition plan and a proper notification under 3A will be made and we will make our intention about acquiring so & so land under various khasra nos. The competent authority in this regard is SDM Solan appointed by the GoI on the recommendation of the State Govt. All the objections in this regard will be filed to the SDM Solan. Only after finalization by SDM Solan that a final notification shall come out.

		available. There will be massive demolition of residential and commercial structures. **3.** Starting at the km 115.200 and ending at km 118.700 on right. The disadvantage is: This option is most suited as vacant land and terrain suiting for road construction is available. Now in the bottom if these details it is written that "Based on considerations of all facts indicated above Option-3 has been found to be feasible".	
		(iv) Now, above option 1 is recommended and below option 3 is called feasible I fail to understand as to what is the difference between feasibility and recommendation.	
		(v) If we have a vacant land available. The question is we all have been living in Kandaghat from generations and our buildings are situated here along the road. Now if vacant land is available then why are our houses being demolished.	
		(vi) Till date you have not told us about the alignment of the road. This is the main point. We don't even know that from which point to which point the bye pass is being aligned. And if the vacant land is available then why this bye pass is not being aligned through that land. Why are you demolishing our houses. There are buildings upto 5 to 6 stories and are constructed since the time of Maharaja of Patiala. (vii) As per my information at least 500 houses will be demolished in the present alignment. Certain people are staying as tenants and others are the owners. Why are people being ousted. Why a bye pass is not being constructed from the other side where there is vacant land available.	The start point in Kandaghat is from UCO Bank in Kandaghat , an elevated road on the right side is propose which will go above the Chail road & railway track, further a tunnel is proposed and finally it will meet near the Chausa road junction. A railway line is on the Right side of the road and it cannot be disturbed as it is a Heritage Site.
		(viii) My humble submission to the authorities is that our houses be saved and only where there is vacant land & jams are prominent and bottle necks are there please correct them only. We oppose the 4 laning.	
		(ix) For how long will the projects like Naptha Jhakri operate after 20 years they will cease to operate? Take vehicles to these projects from Pathankot	

		side. Why are you pressing this NH. Projects can have alternative routes. Jams are prevalent only in the apple season and because of the projects otherwise there are no reasons for jams. An alternate is already underway from Rajgarh and trucks will ply from that road. (x) My humble submission is that kindly rethink over this proposal and it is not that we only have to make it 4 lane , it is the prime duty of the Govt. to save te public also. (xi) Highway acquisition act is a different act and other acquisition act is a different act. As per my information Highway acquisition is a very harsh act and looks only whether a person is being given proper compensation or not and nothing else. (xii) We are sitting here to solve this problem and are literate persons. You are the competent authorities and we can plead to you and you can solve our problems through a via media. (xiii) I know the law of the Highway acquisition & of the general acquisition of land too. It is a National Highway acquisition Act & the scope is very limited. . (xiv) Your patwari's don't even know about whole this thing. Yesterday I met a patwari and he was asking me that what meeting is it tomorrow. I also knew that People from Pollution Control Board have organised a meeting so I also came and when I came the Patwari told me that you will get money only and nothing else. (xv) Whatever the tentative proposal is may be told. Whatever way we are affected must be told to us. Whichever the nitty grities of the project are must be told to the public. (xvi) I want to know that whether any other company has carried out any survey in this regard or not. Let me tell you, it was carried out by SPAN company.	The circulation of the information about public hearing and the project report has been given to all the affected panchayats SDM office and other offices and soft copies have also been circulated. The delay was only due to the code of conduct because of elections. The flyover in Kandaghat will start from near the UCO Bank. We have no knowledge in this regard as it was nothing to do with NHAI.
03.	Dinesh Sharma (Vill: Dhalog)	(i) You have told us about the starting point as 115.200 this is near Dedhghat. If a bridge 600m long can be proposed at to other places then why a suspension bridge can't be made here in the	It can be made and you can give a suggestion in this regard.

		Kandaghat area. (ii) Your book containing the summary tells us that such bridges are being made and here also a bridge should be made.	
04.	**Brahmdev Sood**	(i) The proposal was floated 12 years back and the contract was given to SPAN India. The company worked for 3 years and survey, technical feasibility was done. They finally gave 3 proposals which were not made public. I want to know why. Why is that proposal in cold storage. Why now this issue is being raised again why is the previous proposal being neglected. At that time there was no proposal to make bye pass in Kandaghat. If we compare the 2 proposals it can be found that the previous proposal was better. (ii) Compare that which proposal causes more destruction. We don't understand why previous proposal is being scrapped.	We will see to that.
05.	**BR Sharma (Form Solan)**	(i) I also know about the previous survey. At that point of time Parwanoo to Solan people were asked to raise objection & someone named Sh. Bhag Singh was there and I regret to say that it was told that Public Hearing will be carried out in Sabji Mandi which was cancelled. I asked him who are you at listen to our objections. I asked him about reports & maps. He had no answers. This is how NHAI functions. Why is Parwanoo to Solan stretch not being made. The highway from Pinjore to Parwanoo is faulty; there are so many speed breakers. And you have started talking about making a highway from Solan to Shimla. (ii) It was a 360 cr project later 680 and now it has become a 1786 cr project from Solan to Shimla only. I have filed my objection to Chairman HPSPCB through e mail yesterday. (iii) Whatever docs have been shown to us and the proposal has been shown to us, it tells us that there will be 15 to 20 m high retaining walls on the sides fo the highway. Tell me that if there will be 20 m high retaining wall on the valley side and this area comes under seismic zone where the people down sisde will be at risk all the time. If a 20 m high wall will fail what will be the result I think all of you don't know.	

		(iv) I have read the summary for over 100 pages. And if the work will not be carried out according to the declarations then I will go to the court. Let me tell you previous proposal has also been challenged by me in the court.	
		(v) For the stretch till Solan I have filed objections.	
		(vi) Patwaris & kanungos cant tell us about the project details. I asked maps under RTI. I was told that there were no maps available with the authorities. It is all about fooling the public & making money from the process. Tell me why the stretch from Parwanoo to Solan not being made.	
		(vii) At least make the Highway from Parwanoo to Solan and then talk about the stretch from Solan to Shimla. I can say it will not be made.	
		(viii) As I see in the summary 76.2.2 it is studied that this highway is important because it is used by the tourists. If the tourists are so important and the industries are so important then make an alternate alignment.	
		(ix) There will be now a toll tax barrier on the road and you will impose tax on us. You are making this road for tourists and industries but you will collect toll from us. We don't have to take anything from the big industrialists. We want our peace & culture to be preserved.	
		(x) You have said that we will take sand from river beds from 11 boroughs about 1 km from Start of Solan. I want to ask you that whether what you have presented to us today in presentation that is true or whether what you have stated in the executive summary that is true, please tell us this first then only we can proceed further.	We will take on record whatever you have said.
		(xi) You are today telling about 15 to 20 m wall today. The exec. summary talks about 12m high wall only. Please explain this. You are fooling the public & wasting their time.	There will be retaining walls but not on the whole stretch but at places.
		(xii) You have not explained anything about the seismic impacts.	We will include your suggestions in the EIA study. All designs are as per the seismic coefficients and are not unsafe. Parwanoo to Solan changes are already under consideration. Jabli

			Dharampur people had problems and the changes have been made. The Kandrour bridge
		(xiii) We have given you proposals and if no action is taken upon it then we will do something which is appropriate.	Asias' highest has also been made after taking the seismic considerations in mind.
	Chairman (ADM Solan)	(i) There seems to be a discrepancy in the executive summary and the details given by the NHAI today. We must not be dismissive about the project in totality. We will try to address all the problems. We should so everything with sensitivity.	
06.	Ishwar Thakur (Pradhan)	(i) You have stated that the Panchayats were given details about the project but we have not received anything till date. (ii) You have told us that what is the alignment and since we don't know anything how do you expect us to file objections. Please inform us about it.	As has been told earlier also that when a notification under 3A will come it will contain the details of the land which will required to be acquired. Generally the existing is being widened on either side. Still if you want to see the details you can come to the office of the Project Director in Shimla.
07	Deepak Kumar	(i) I have a house on the road head. I have come to know that my land will be acquired so as to save the tourism hotel in the vicinity. (ii) We want that whatever is the survey be told to us be it tentatively. Or a general survey.	Acquisition is done on both sides as per geometry without bias. You can come to Shimla anytime to to see the drawings in the NHAI office.
08	Manish Sharma	(i) You have come here to listen to our problems today, you must have spent considerable money in the making of these reports. Everybody is asking you questions again & again that whether our land will be acquired or not but you are not at all able to answer us. (ii) There is a LCD here, there is a projector here, at least you should have given a presentation. Is it	

		that you don't have any data in soft form.	
		(iii) We could have easily understood the details in the presentation.	
		(iv) You are again & again saying that the public can come to Shimla Shimla & see the details there. I want to ask as to why are you not able to give us the details today when the public hearing is being organised.	
		(v) You could have told us Panchayat details then we could have filed our objections.	
		(vi) You are saying that the details are available on the internet. Tell me how many people here use the internet.	
		(vii) I want told yesterday 03.15 pm that there is a meeting to file objections. Who can file the objections so early? (viii) The proposed project is not at all in front of us.	Public was informed through a public address system. All the panchayats were informed and were given the executive summary for reference. Notices were pasted on all the panchayats rain shelters and bus stands for maximum coverage.
		(ix) In Kandaghat you are giving a bye pass for 1 km but for Shoghi you are bye passing for the 5 km stretch. Please explain this to us. If you see Solan after 40 years then Solan also needs a bye pass.	
		(x) Till date people are constructing houses in this stretch, if you are proposing a bye pass & a flyover from this stretch in Kandaghat after a few years you will need another bye pass. So it is advisable that you start this flyover from a few kms more towards Solan.	The technical feasibility of this proposal can be studied.
		(xi) What is the formula & policy for compensation. If I am relocated where will be given land. Where will I set up my business in that case. (xii) What will be the compensation if I loose my livelihood because of dislocation. I should be given commercial space in case I loose commercial space & my livelihood.	All dislocated families are given land & they fall in the R & R package. All the compensation is according to the National Highway Act 1956.

	Chairman (ADM Solan)	(i) There is no Khasra wise clarity with NHAI and giving such a detail in this hearing may not possible as the things have not been finalised as on date but NHAI cah now explain tentative alighment ahead of Kandaghat. NAhI should explain the alignment broadly to the public today so that the public can react to the suggestions.	
10	**Dharam Dutt (Pradhan: Bisha)**	(i) Our Panchayat starts from Waknaghat onwards. By as on date we don't have even minimal knowledge about the alignment. We have not received any letter or any proposal from you. (ii) We got to know that there has been some measurement some time back and nothing else. (iii) How will you broaden the road in our area, where will you throw the muck in the Kairighat area. The people living in the downward side what will they do when the muck will come from the top. (iv) In the Kaithlighat area there is a railway line on both the sides. Our area will be finished. What about the livelihood of the locals in the area. What has been thought about the local residents of the area. (v) Information should be given to us so that we can disburse the information to others in our Panchayat.	(iv) SDM Solan is the competent authority for the valuation of the land appointed by the Govt.
11.	**Aditya Mahajan Solan**	(i) Don't you think that it is better that you put this map on the internet and give a copy of the proposal to each panchayats. (ii) You have said that wherever there is railway line in the alignment there no cutting will take place. (iii) Why don't we acquire the railway land which is lying vacant to save the houses of people from demolition? (iv) Why are you not acquiring more of Govt. Land for this project?	(iii) This is not possible as you know that this is a UN World Heritage site.

12.	Rajni Sharma (Pradhan)	(i)	I am totally with the people who have expressed their views here till now.	
		(ii)	We welcome the 4 laning buy I am also worried with peoples concern.We want that the project should move so that nobody's house may be demolished. I want that you should keep in mind everybody's concern & problems	
		(iii)	The important thing I want to ask is that agriculturists who will loose whole of their land will they still remain as agriculturists on records? I have to answer this question to the people of my panchayats.	They will fall in the definition of land loosers of Himachali category. It has happened in NHPC or Kol dam & compensation was given to people. They will remain agriculturists.
13.	Shekhar Sharma	(i)	When you will acquire land what rate of compensation will you give? As it so happened in the case of Tehri Dam people got compensation at very low rates. By the time we will get compensation the rates will again have escalated.	The valuation is done on current date. The competent authority has been given full authority to decide the rate of compensation if you are still not satisfied after getting compensation you can appeal to the arbitrator appointed by the Govt. who sits in Shimla.
14.	Laxmi Dutt	(i)	Though land loosers will get compensation but I will loose the source of water fro my agricultural land. My land location is such that if widening is done then the source of water to my fields will dry up. Will I get compensation.	All the water sources in the area will be protected and you need not worry on that account.
15.	Manoj	(i)	When you will make the road you will make railing along the road. What will happen to the local residents who park and take their vehicles to branch roads.	It will not be closed everywhere. Where ever it is closed service lanes are provided.
		(ii)	In Pinjore if you see there is a house every 50 meters on an average but access to them is very limited.	
		(iii)	If you make retiainig walls will there be a continuous access. In the Parwanoo bye pass the road is closed from both sided with a railing.	The right of the people will not be dismissed.
		(iv)	How will the cattle cross the road because of the railing.	

16.	Bidhi Ram	(i) If you have maps then make it clear Panchayat wise. You are not able to make us understand. (ii) In kairighat it is written there is 3 km tunnel from there. (iii) You should make the points clear to us.	There is no tunnel in that area. Only existing alignment will be widened. We will have maps when 3A will come.
17.	Jai Ram Kashyap	(i) Our land is on the down side and the pastures are on the upper side of the roads. So movement should not be hampered. How will cattle move. When retaining wals will come how will we move.	Rights of the villagers will not be taken away
18.	Shekhar	(i) My half of the house falls in the alignment. How will I be given the compensation?	It will have to be seen. Whether there is an expansion joint or not.
19.	Sandeep Kumar	(i) Information about this hearing was not available with us at all till yesterday evening.	The notification was made in local newspapers. Official communication was made with the panchayats and summary was provided and last evening through Public address system public was informed.
20.	Tarun Gupta	(i) Whatever the EPM dumping sites you have proposed should be marked alongwith their capacities taking into account the swell factor. The provision for rehabilitation & greening may also be marked in it..	This is a DBFOT project and it is after the Forest Clearance that we can go ahead and all these markings are incorporated in it and not here in our report.
21.	PC Sood	(i) In the report given by you in page 4 col2 where you have explained about major habitations along the road. Please explain the definition of semi pucca, ucca big and small houses (ii) Visit the site with us and then comment on the type of houses. Whether a concrete is a semi pucca or small. How have you classified the houses, explain it to us.	We will consider your suggestion.
22.	JL Sood (Retd. Geologist)	(i) People don't know about alignment. They don't know your technicalities. Why don't you delineate the alognment tentatively Please carry out this exercise. Please consider the provision	

			of byepassing the Kandaghat bye pass	
		(ii)	You have easily written that there are no water bodies in the area. Obviously you are not living here. But there are loads of small water bodies in the form of springs and you have ignored this point.	The point is agreed.
		(iii)	You have not indicated the location of Air Monitoring stations but only mentioned that air monitoring was carried out. How much area a station covers.	
		(iv)	Where was air monitoring done in Solan Distt. Please pin point those locations let us know now.	
		(v)	Please point out the surface sources you have identified.	
		(vi)	All this exercise is being done for affluent people only for tourists and industrialists. Kindly do not disturb us let us live, HP is known for peace.	The afforestation will be done in this catchment area only by the forest department.
23.	**Vivek Sood**	(i)	There will be around 5500 trees cut. Are these from Parwanoo to Solan or Solan to Kandaghat please specify Have you identified the location for plantation in lieu of the cut tree and the area for afforestation. Have you made any assessment whether they are Govt trees of Private trees. I want to know	Compensatory plantation for the trees in the govt land will be done. Compensation for the trees in the private land will be given.
		(ii)	Trees will be cut from chambaghat to Shimla. Please specify whether they will be private trees of Govt. trees. Please specify whether trees will be replanted.	
		(iii)	Merely giving compensation will not give us Oxygen. Our meeting today is for stopping pollution & conserving the environment. The disturbance caused will not be undone by afforestation on the trees cut in the govt. land.	We are planting 16000 trees in lieu of 5500 trees cut. We all are stake holders in the project and the plantation will be carried out in this area only.
		(iv)	Will you plant the trees along the road or somewhere in Kangra.	
24.	**Umed Ram**	(i)	I want to know that if Kandaghat is byepassed then will the road in the market remain as a National Highway.	The byepassed stretch will go to the State Govt.

		(iii) This time I want that a proper dumping site be used for muck dumping and locals may not be affected.	

The public hearing was concluded by an expression of thanks by the ADC Solan to the participants for expressing their view in detail about the draft EIA report of the NHAI about the 4 laning of the Chambaghat to Shoghi section of the NH-22.

(Shri CP Verma)
Addl. District Commissioner
Distt. Solan